निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 02 वर्ष 217-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अ भयन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

मुख्य अ भयन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी के माह 08/2016 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 11/05/2017 से 17/05/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2016 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत सड़क/सेतुओं/भवनों का निर्माण/ अनुरक्षण।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आ धक्य (+)	बचत (-)	आ धक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	35.47	34.15	-	-		1.32		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
		Nil			

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता स्तर-I

मुख्य अ भयन्ता स्तर-II

अधीक्षण अ भयन्ता

अ धशासी अ भयन्ता

सहायक अ भयन्ता

अपर सहायक अ भयन्ता

कनिष्ठ अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में मुख्य अ भयन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अ भयन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। ....

का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .... के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः 1- भागीरथी नदी पर जनपद टिहरी गढ़वाल में डोबरा के निकट भारी वाहन झूला पुल के निर्माण कार्य पर क्रय सामग्री 18.37 करोड़ एवं वंड एंकर ब्लाक लागत 5.22 करोड़ का उपयोग न होने के कारण 23.59 करोड़ सामग्री का अवरोधन व निकट भ वष्य में उक्त सामग्री की उपयो गता खत्म होने से शासकीय धन की निश्चित हानि।

टिहरी बांध जलाशय के ऊपर ग्राम डोबरा के निकट भागीरथी घाटी में डोबरा चाटी भारी वाहन झूला पुल सेतु (396 मीटर झूला पुल सेतु + एप्रोच ब्रिज 136 मीटर) कुल 532 मीटर के निर्माण कार्य हेतु 89.20 करोड़ की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2042/ II-2006-12 / 1(11)05 दिनांक 17.04.2006 के अनुसार प्रदान की गयी थी ले कन प्रस्ता वत झूला पुल के एबटमनेट पर निर्धारित गहराई तक कठोर चट्टान न पाये जाने के कारण मुख्य झूला पुल का स्पान व एप्रोच ब्रिज को परिवर्तित कर (440 मीटर झूला पुल सेतु + एप्रोच ब्रिज 320 मीटर) कुल 760 मीटर करने का निर्णय लया गया जिसकी निर्माण कार्य हेतु लागत 128.53 करोड़ की पुनरी क्षत प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति शासना देश संख्या 2929/ II-2008-12 / (11)1 /05 दिनांक 08/12/2008 के अनुसार प्रदान की गयी थी।

कार्यालय मुख्य अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग नई टिहरी के लेखा अ भलेखों व पत्रावली की जांच में पाया गया कः

- अनुबंध के अनुसार स्टीफनिंग ट्रस लां चंग / इर्रेक्शन की स्कीम प्राप्त न होने से व धन आवंटन की कमी के कारण इस अधूरे कार्य को बन्द (01/05/2014) कए जाने से पूर्व 139.80 करोड़[1] (ठेकेदार की अंतिम बिल 61 के अनुसार) का व्यय कया गया था जो क प्राप्त पुनरी क्षत प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति से भी ज्यादा थी तथा उक्त शासनादेश के प्रावधानों के वपरीत था।
- अ भलेखों के अनुसार ठेकेदार द्वारा पुनरी क्षत प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्ति से पूर्व ही (11/2007 से अप्रैल 2008 तक) प्रस्ता वत झूला पुल हेतु 66 एमएम व्यास की मैन लाक्ड वायर लागत 29.00 करोड़ व 66 एमएम व्यास की मैन लाक्ड वायर के

---

[1] अधूरे सेतु कार्य पर 123.67 करोड़, मूल्य वृद् ध 12 करोड़, कंसल्टेंसी 1.84 करोड़, साइल टेस्टिंग एवं प्रतिकर 1.54 करोड़ व Contingency चार्ज 0.78 करोड़।

साकेट कुल लागत 3.06 करोड़ एक्सट्रा आइटम में खरीद ली जो क क पूर्व स्वीकृत आगणन में नहीं थी। इसके अलावा ठेकेदार द्वारा (20.52) करोड़ की अन्य सामग्री भी जिसका उपयोग आति थ (मई 2017) तक झूला पुल निर्माण पर नहीं कया गया है को भी एक्सट्रा आइटम से (अप्रैल 2008 से अप्रैल 2012 तक) खरीद लया गया था। जब क अनुबंध के अनुसार खण्ड को स्टीफनिंग टूस लां चंग/इरेक्शन की स्कीम प्राप्त नहीं हुई थी।

- उपरोक्त अधूरे सेतु निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु शासन ने 21 अक्टूबर 2015 को 149.95 करोड़ की पुनः प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की तथा प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता लोक निर्माण वभाग नइ टिहरी 12/2015 को प्रदान की गई तत्पश्चात अधीक्षण अ भयन्ता 8 वृत्त ने 15/एस ई - 08/2015-16 दिनांक 25/01/2016 के द्वारा अनुबंध अन्तराष्ट्रीय बि डंग से Joint Venture में यो शन इंजीन्यरिंग कोरपोरेशन द क्षण कोरिया व वीकेएस इन्फ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट ल मटेड के साथ 135.01 करोड़ लागत का गठित कया उक्त अनुबंध के अनुसार अगस्त 2017 में निर्माण कार्य समाप्त कया जाना है जब क कार्य की भौतिक प्रगति आख्या मार्च 2017 के अनुसार 40 प्रतिशत है और कार्य को पूर्ण करने के लए समय वृद ध मार्च 2018 तक मांगी गई है। अनुबंध के शर्तों के अनुसार पूर्व में ली गई सामग्री 52.51 करोड़ में से 34.21 करोड़ की सामग्री निर्माण कार्य प्रयोग हेतु इस निर्देश के साथ निर्गत (05/02/2016) की गई है क इस का सुपर वजन कंसल्टेंनट से परीक्षण करके एवं यदि सुपर वजन कंसल्टेंट आवश्यक समझे तो उनकी टेस्टिंग भी करा ले। जब क 66 एम एम ब्यास की मैन लांक्ड वायर के केवल टेस्टिंग करा दिया गया है जिसमें वायर की बाहरी सतह सुखी बतायी गई है। उक्त उपलब्ध कराई गई सामग्री का उपयोग सेतु पर आति थ (मई 2017) नहीं कया गया है।

अवशेष पड़ी सामग्री को उपयोग लाने हेतु मुख्य अ भयन्ता स्तर-1 लोक निर्माण वभाग द्वारा जुलाई 2016 को सभी क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ताओं के निर्देश दिये क वे जिस मोटर सेतु पर सूची के अनुसार 66 एम एम रस्सो आदि का प्रयोग करते हुए डजाइन/रि डजाइन करना सम्भव हो उस सेतु का ववरण तत्काल परियोजना क्रयावयन अ धकारी डोब्रा चाटी को उपलब्ध करावे। ले कन वगत एक वर्ष बीतने के उपरांत भी अप्रयुक्त सामग्री 18.37 करोड़ एवं वंड एंकर

ब्लांक लागत   5.22 करोड़ का उपयोग कसी भी अन्य सेतु पर नहीं कया जा सका है और यह सामग्री अभी भी कार्य स्थल पर ही पड़ी है जिससे अ धक समय से एक ही जगह पर रखे रहने से, वर्षा एवं धूप की वजह से खराब होने की सम्भावना है।

इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया क क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ताओं को अवगत कराया गया क जिस मोटर सेतु पर सूची के अनुसार उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करते हुए डजाइन/रि डजाइन करना सम्भव हो उस सेतु का ववरण तत्काल परियोजना क्रयावयन अ धकारी डोब्रा चाटी को उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कया गया है। कार्यालय द्वारा दी गई आख्या संतोषजनक इस कारण से नहीं मानी जा सकती है क्यों क वगत तीन वर्षों (2014-17) में ही व भन्न योजना के अन्तर्गत कुल 350 सेतु का निर्माण पूर्ण कया गये है और वभाग द्वारा अवशेष पड़ी सामग्री को इन सेतु में उपयोग हेतु कोई प्रयास नहीं कया था। अतः अवशेष सामग्री   18.37 करोड़ एवं वंड एंकर ब्लांक लागत   5.22 करोड़ का उपयोग न होने के कारण   23.59 करोड़ सामग्री का अवरोधन व निकट भ वष्य में उक्त सामग्री की उपयो गता खत्म होने से शासकीय धन की निश्चित हानि होने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2–विभिन्न स्तर पर लम्बित वन भूमि प्रकरणों के कारण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य कानिष्पादन लम्बित रहना।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के अभिलेखों की नमूना जांच (05/2017) में पाया गया कि प्रथमचरण हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य जो विभिन्न स्तर पर लम्बित वन भूमि प्रकरणों के कारण लम्बित थे की कुल संख्या 138 थी, जिसमें से 71 कार्य खण्ड स्तर पर लम्बित थे।इसी प्रकार दूसरेचरण हेतु कुल स्वीकृत कार्य 50 थे, जिसमें से खण्ड स्तर पर 07 कार्य लम्बित थे। मुख्य अभियन्ता स्तर पर अधीनस्थवृत्तों/खण्डों को वन भूमि स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर दिशा–निर्देशजारी किये जानेचाहियेथे जिससे कि वन भूमि प्रकरणों पर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करते हुये कार्य का निष्पादन प्रारम्भ किया जाता परन्तु मुख्य अभियन्ता स्तर पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही नही किये जाने के कारण वृत्त एवं खण्डीय स्तर पर लम्बित वनभूमि प्रकरणों के स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये जिससे विभिन्न स्तरों पर लम्बित वन भूमि प्रकरणों के लम्बित रहने के कारण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य का निष्पादन लम्बित था। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि विधिवतस्वीकृति प्राप्त कुल 34 कार्यो का निष्पादन भी लम्बित था।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगतकराया कि इस सम्बन्ध में समय–समय पर समस्तवृत्तों/खण्डों को मौखिक रूप से सूचित किया जाता है, भविष्य में इस कार्यालय के द्वारा पत्राचार द्वारा भी सूचित किया जायेगा।इकाई का उत्तरमान्य नही था

क्योकि ईकाई द्वारा लम्बित वन भूमि प्रकरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नही उठाये गये थे और न ही ऐसा किये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार वन भूमि प्रकरणों के लम्बित रहने से विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य का निष्पादन लम्बित रहा।

प्रकरणसंज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3–प्रमुख अभियन्ता उत्तराखण्ड स्तर पर गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ (नोडल ईकाई) द्वारा मुख्य अभियन्ता को आबंटित किये गये मोटर मार्गो/सेतुओं के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच की उपलब्धि में कमी।

राज्य अन्तर्गत मोटर मार्गो/सेतुओं के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासनादेश संख्याः 4807/111(2)/14/लो.नि.वि./2014 दिनांक : 29 अगस्त 2014 में प्राविधानित किया गया था कि

(1) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के अधीन गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ द्वारा लोक निर्माण विभाग, ए.डी.बी. एवं विश्वबैंकपोषित सभी कार्यो की गुणवत्ता की जांच हेतु एक नोडल इकाई के रूप में कार्य किया जायेगा।

(2) मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को अपने–अपने क्षेत्र/वृत्त के यथासंभवनिकटवर्ती क्षेत्रों में ही गुणवत्ता की चेकिंग हेतु कार्य प्रमुख सचिव, लो.नि.वि. के अनुमोदनउपरान्त, प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. द्वारा आवंटित किए जायेगे।

(3) प्रति माह मुख्य अभियन्ताओं को उनके कार्य क्षेत्रान्तर्गतचार कार्य एक साथ ही आवंटित किए जायेंगे जिनकी वह एक माह के अन्तर्गत जांच करके गुणवत्ता आख्या निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन को उपलब्ध करायेंगे।

मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, टिहरी के अभिलेखोंकी नमूना जांच (05/2017) में पाया गया कि प्रमुख अभियन्ता उत्तराखण्ड स्तर पर गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ (नोडल ईकाई) की दिनांक 30.04.2017 तक की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अभियन्ता टिहरी को आबंटित कुल 50 कार्यो के सापेक्ष मात्र 28 कार्य की जांच रिपोर्ट ही नोडल ईकाई को प्रेषित की गयी थी जबकि उक्त शासनादेश के अनुसार एक माह के अन्तर्गत जांच करके गुणवत्ता आख्या निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन को उपलब्ध

कराना था। इस प्रकार मुख्य अभियन्ता स्तर पर कार्य की गुणवत्ता जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलताबरतीगयी।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर ईकाई ने अवगतकराया कि गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ से सम्बन्धित जांच कार्य की अवशेष 28 जांच कार्यो में से 17 जांच कार्य पूर्व मुख्य अभियन्ता द्वारा की जानी थी, जो शेषरही है, इन्हें एवं इनके अतिरिक्त शेष जांच कार्य शीघ्र सम्पन्न करवाकर आख्या Quality control cell को उपलब्ध करवादीजायेगी। शेष जांच कार्य पर निरीक्षण इत्यादि की कार्यवाहीगतिमान है।

ईकाई का उत्तरमान्य नही था क्योकि क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ द्वारा आबंटित कार्यो की गुणवत्ता जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलताबरती गयी जिससे कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई हो के तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रमुख अभियन्ता स्तर पर क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ जिसउद्देश्य से गठित की गयी थी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भी विफलरही।

प्रकरणसंज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1—₹ 3.72 लाख की कम्प्यूटर सम्बन्धीसामग्री(Computer related items) का क्रय बिना कोटेशनआमंत्रित किये किया जाना।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच (05/2017) में पाया गया कि ईकाई द्वारा रू0 3.72 लाख के कम्प्यूटर सम्बन्धीसामग्री(Computer related items)काक्रय बिना कोटेशनआमंत्रित कियेARD Computers, Bhotiya Market, Picture Palace, Mussorie, Dehradun (U.K.) से किया गया था जिनका विवरण निम्नवत् था :—

Sl. no.	Item	Invice no.	Date	Amt. in ₹
01.	UPS/Printer mouse etc.	409	nil	12475.00
02	Dell Laptop	750	nil	46500.00
03	Battery, Inverter etc.	2084	10.03.2016	32373.00
04	HP desktop 8GB Pendrive	751	03.10.2015	40000.00
05	Canon Printer/HP Laserjet printer and AntivirousQuickheal	752	03.10.2015	38500.00
06	Dell Laptop/ HP desktop/ Canon Printer/HP Laserjet printer and 8GB Pendrive	403	05.10.2015	125000.00
07	Dell desktop Ups 600 VA HP Printer	902	20.06.2016	48000.00
08	HP Tonner/ Antivirous computer software etc.	1521	04.02.2017	30000.00
	Total			372848.00

मानको के अनुसार कोटेशनआमंत्रित करते हुए न्यूनतमदर(Lowest rate) पर ही किसी एजेन्सी विशेष से सामग्रीक्रय की जानी चाहिये, परन्तु इस प्रकार की प्रक्रिया का अनुपालन उक्त मामले में नही किया गया ।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर तथ्यों को स्वीकार करते हुए ईकाई ने अवगतकराया कि Quotation की प्रकिया शीघ्रप्रारम्भ कर सम्प्रेक्षा दल की अपेक्षानुसारकार्यवाही की जायेगी।ईकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती हैं कि उक्त सामग्रीवगैरकोटेशनआमंत्रित किये कय की गयी थी। उक्त प्रकरण में सामग्रीकय करते समय कोटेशनप्रकिया का अनुपालनसुनिश्चित नही किया गया था, अतः प्रकरणसंज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या 1
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

-लागू नहीं-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अ भयन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	ई. अयाज अहमद,	मुख्य अ भयन्ता	(28/02/2015 से 03/03/2015)
(ii)	ई. शरद कुमार बिड़ला	मुख्य अ भयन्ता	(03/03/2015 से 14/07/2015 तक)
(iii)	ई. के.के. श्रीवास्तव	मुख्य अ भयन्ता	(14/07/2015 से 03/11/2016 तक)
(iv)	ई. जी.एस. पांगली	मुख्य अ भयन्ता	(03/11/2016 से अब तक)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति मुख्य अ भयन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II